1.5 पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963

भारत सरकार

खान और ईंधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1963

अधिसूचना

सा.का.नि. सं. 626 - केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक** - ये नियम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 कहे जाएंगे।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 है।

(ख) "धारा" का अर्थ अधिनियम की धारा है।

3. धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन - *(1)* धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का विवरण शामिल होगा जिससे उसकी पहचान होती हो और जिसमें, जहां संभव हो, ऐसी भूमि के अभिलेख या सर्वेक्षण की बंदोबस्ती की संख्या दी गई हो।

(2) उप-नियम में उल्लिखित अधिसूचना का सार प्रकाशित किया जाएगा -

(क) भूमि जहां अधिग्रहीत की जानी है वहां प्रयोक्ता के अधिकार की भूमि के आसपास डोंडी पिटवाकर; और

(ख) परिक्षेत्र में किसी विशिष्ट स्थल पर इसकी प्रतिलिपि चिपकाएं जहां यह भूमि अवस्थित है।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि के मालिक के रूप में प्रासंगिक राजस्व अभिलेखों में दर्शाए गए प्रत्येक व्यक्ति या जो, सक्षम प्राधिकारी के मत में ऐसी भूमि का मालिक है या हितबद्ध है, को नियम 8 में निर्धारित अनुसार ऐसी अधिसूचना की एक प्रति भेजी जाएगी।

(4) प्रतिकार के लिए दावा दायर करना - (1) किसी भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिकार का दावा कर सकता है -

(क) धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण उस व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए -

(i) यदि भूमि में प्रयोग का अधिकार धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के अंदर अधिग्रहित न किया गया हो, या

(ii) यदि भूमि में उपयोग का अधिकार धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के अंदर अधिग्रहीत कर लिया गया हो:

(ख) संबंधित धारा की उप-धारा (1) के खंड (i) में उल्लिखित प्रचालन के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के अंदर धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण संबंधित व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए;

(ग) संबंधित धारा में उल्लिखित प्रचालन के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के अंदर धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के कारण संबंधित व्यक्ति को हुए नुकसान के लिए;

(घ) धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत घोषणा के प्रावधान की तारीख से साठ दिनों के अंदर धारा (i) की उप-धारा के अंतर्गत:

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद तीस दिनों के अंदर किसी दावे को स्वीकार कर सकती है, यदि वह संतुष्ट हो कि आवेदक के पास ऐसी विनिर्दिष्ट अवधियों में आवेदन न करने का पर्याप्त कारण था।

स्पष्टीकरण 1: " किसी क्षेत्र के संदर्भ में प्रचालन के समाप्त होने की तारीख" की अभिव्यक्ति का अभिप्राय -

(क) खंड (ख) के प्रयोजनार्थ संबंधित क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने से संबंधित कार्यों के पूरा होने की तारीख;

(ख) खंड (ग) के प्रयोजनार्थ संबंधित क्षेत्र में बिछाई गई पाइपलाइनों के संबंध में धारा 8 में उल्लिखित सभी या किसी कार्य के पूरा होने की तारीख;

जिसे सक्षम प्रधिकारी सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है और संबंधित परिक्षेत्र में भूमि में उपयोग के अधिकार वाली पार्टी या उस क्षेत्र में बिछाई गई पाइपलाइनों के स्वामित्व

वाली पार्टी के परामर्श से स्थानीय परिक्षेत्र में डोंडी पिटवाकर, जैसी भी स्थिति हो, सूचना दे सकती है:

स्पष्टीकरण 2 - इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" का अर्थ होगा -

(i) जहां विनिर्दिष्ट अवधि में दावे के लिए आवेदन दायर करने में विलंब आवेदक के नियंत्रण से परे हो;

(ii) जहां विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर दावे के लिए आवेदन दायर करने में विलंब किसी अप्रत्याशित कारण जैसे दंगों, बाढ़, गृह युद्ध, विदेशी आक्रमण, भूकंप या आगजनी, आदि के कारण हो;

(iii) जहां आवेदक को किसी कारण से रोका गया हो जो विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर दावा करना लिए उसके नियंत्रण से परे हो।

(2) प्रतिकार के लिए दावा इन नियमों से संबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में दिया गया हो।

(3) सक्षम प्राधिकारी प्रतिकार का दावा प्राप्त होने पर नियम 4क में उपलब्ध अनुसार इसकी जांच करेगा और प्रतिकार निर्धारित करेगा तथा इसके बाद धारा 10 की उप-धारा (2) और (5) में उल्लिखित पार्टियों को इस प्रकार निर्धारित प्रतिकार की राशि सूचित करेगा।

"4क. सक्षम प्राधिकारी, नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन जांच करने और प्रतिकार मंजूर करने के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :-

(1) भूमि में हितबद्ध किसी व्यक्ति के उपयोग के अधिकार से वंचित हो जाने के कारण मिलने वाले भूमि के प्रतिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस परिक्षेत्र में विद्यमान भूमि की दरों की बाबत निम्नलिखित स्रोतों से पूछताछ करेगा, अर्थात् -

(क) ऐसे स्थानीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दस्तावेजों को रजिस्टर करने के लिए तत्समय प्राधिकृत किया गया हो :

(ख) यदि ऐसी अवधि के दौरान उस परिक्षेत्र में कोई भूमि अर्जित की गई है तो, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन भूमि अर्जन प्राधिकारी और;

(ग) ऐसा कोई अधिकारी या प्राधिकारी जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्रयोजन के लिए भूमि की आरक्षित कीमत नियत करता है:

परन्तु विचार की जाने वाली कोई दर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियत आरक्षित कीमत से कम नहीं होगी।

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किए जाने के दौरान हुई हानियों या नुकसान के लिए प्रतिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी -

(क) उसके द्वारा नियुक्त की गई टीम द्वारा तैयार किया गया एक पंचनामा अभिप्राप्त करेगा जो अधिमानत: भूमि में हितबद्ध द्वारा या उस परिक्षेत्र के दो स्वतंत्र और सम्मानीय निवासियों और कार्य-निष्पादन अभिरण के प्रतिनिधि द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित होगा। उक्त पंचनामों में अधिनियम की धारा 4, 7 या 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान हुई हानियों और नुकसान के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

(ख) फसलों, वृक्षों और फलों आदि से प्राप्ति की बाबत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उद्यान-कृषि या कृषि विभाग से अथवा केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार के आकड़ों के अनुसार अथवा किसी स्थानीय सरकारी निकाय से पूछताछ करेगा; और

(ग) फसलों, इमारती काष्ठ, काष्ठ, फल आदि के बाजार मूल्य की कृषि विभाग से या किसी अन्य संबंधित अभिकरण या अर्द्ध सरकारी अभिकरण जैसे कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी या किसी विधि के अधीन फसलों काष्ठ, फल आदि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से अध्यापेक्षा करेगा;

(घ) अन्य हानियों, यदि कोई हो, का निर्धारण, सरकारी अभिकरण से या किसी अर्हित इंजीनियर से या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34 क ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मूल्यांकक के माध्यम से करवाएगा;

(ड.) उपधारणात्मक फसल प्रतिकार अर्थात् ऐसे लाभ के लिए प्रतिकार तो कृषक उस फसल के लिए सामान्यत: प्राप्त करता जो यदि उसे भूमि जोतने से निवारित न किया गया होता तो उसमें उस भूमि जिससे प्रतिकार संबंधित है पर उस मौसम या अवधि के दौरान कृषि की होती, के मामले में सक्षम प्राधिकारी बीज, खाद, श्रम आदि की बचत के रूप में शुद्ध मूल्य के 20 प्रतिशत की कटौती कर सकेगा।

5. प्रतिकार के निर्धारण के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन - प्रतिकार की राशि के निर्धारण से व्यथित कोई पार्टी जिला न्यायाधीश, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि या उसका भाग अवस्थित है, को आवेदन दे सकती है, जो नियम 4(3) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से सूचना की प्राप्ति के नब्बे दिनों के बाद न हो।

6. धारा 11 के अंतर्गत प्रतिकार जमा कराना - केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कॉर्पोरेशन, जैसी स्थिति हो, नियम 4 के अंतर्गत सूचना की प्राप्ति के इक्कीस दिनों के अंदर प्रतिकार की राशि को ऐसे खजाने और ऐसे लेखा-शीर्ष, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया हो, में जमा कराएगी।

7. दावेदारों को नोटिस तथा जिला न्यायाधीश को विवाद का संदर्भ - *(1)* जहां अनेक व्यक्तियों के दावे धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जमा कराए गए प्रतिकार की राशि में हितबद्ध हों और सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित धारा की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन व्यक्तियों का निर्धारण किया है जो उसके विचार में प्रत्येक को दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के पात्र हैं, तो वह ऐसे सभी व्यक्तियों को सूचना देगा जिन्होंने प्रतिकार के लिए अधिमान दिया है।

(2) यदि उप-नियम (1) में उल्लिखित कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी का निर्णय स्वीकार नहीं करता है, तो वह ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के अंदर सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में लिखित में सूचना भेजेगा।

(3) यदि उप-नियम (2) के अंतर्गत प्राप्त सूचना की प्राप्ति पर या अन्यथा, सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि प्रतिकार की राशि के भुगतान के संबंध में विवाद बनता है, जो वह उसे धारा 11 की उप-धारा (5) के अंतर्गत विवाद को जिला न्यायाधीश को भेजेगा।

8. नोटिस देने की प्रणाली आदि - (1) जारी किया गया कोई नोटिस या पत्र या पारित आदेश ऐसे नोटिस, पत्र या आदेश, जैसी स्थिति हो, की प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसके लिए यह है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दी जाएगी या उसे उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय के पते पर पंजीकृत पावती पत्र द्वारा परिवार के किसी वयस्क सदस्य को भेजी जाएगी।

(2) जहां सेवारत अधिकारी उप-नियम (1) के अंतर्गत नोटिस, पत्र की प्रति देता है, वहां उसे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लेने होंगे जिसे प्रतिलिपि दी गई है या मूल प्रति पर सेवा की पावती को पृष्ठांकित करना होगा।

(3) जहां ऐसे व्यक्ति के परिवार का कोई व्यक्ति या वयस्क सदस्य पावती पर हस्ताक्षर करने से मना करता है और सेवारत अधिकारी, सभी कारण और तर्कसंगत समझ का प्रयोग करने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाता है और ऐसे व्यक्ति के परिवार में कोई वयस्क सदस्य न हो, तो सेवारत अधिकारी नोटिस पत्र या आदेश की एक प्रति दरवाजे के बाहर या ऐसे व्यक्ति के सामान्य आवास या व्यवसाय के सामान्य स्थल के किसी विशिष्ट भाग पर उसे चिपकाएगा तथा तत्पश्चात् मूल प्रति को सक्षम प्राधिकारी को लौटाएगा, जिसने नोटिस, पत्र या आदेश, जेसी भी स्थिति हो, उस पर एक रिपोर्ट संलग्नक सहित पृष्ठांकित करेगा कि उसने इसकी एक प्रति चिपका दी है, और उसने ऐसा किन परिस्थितियों में किया और उस व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसके द्वारा समान या अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय स्थल, जैसी भी स्थिति हो, की पहचान की गई और जिसकी उपस्थिति में प्रतिलिपि चिपकाई गई।

(4) जहां किसी व्यक्ति को कोई नोटिस, पत्र या आदेश दिया जाना हो, वह अवयस्क हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, वहां नोटिस, पत्र, या आदेश उपर्युक्त ढंग से ऐसे अवयस्क या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के संरक्षक को दिया जाएगा।

अनुसूची

प्ररूप

[नियम 4 (2) देखिए]

(दो प्रतियो में प्रस्तुत किया जाना है)

पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3(1) के अधीन राजपत्र अधिसूचना तारीख..... में विनिर्दिष्ट भूमि के संबंध में दावा।

भाग-क

दावेदार की विशिष्टियां

1. दावेदार का नाम _____
2. पिता/पति का नाम (+) _____

3. आयु/जन्म की तारीख (+) _____
4. उपजीविका _____
5. स्थायी पता _____
   _____

6. संसूचित किए जाने के लिए/ _____
   नोटिसों की तामील के लिए पता _____

7. दावा प्रस्तुत किए जाने की तारीख _____

भाग - ख

जिस भूमि पर पाइपलाइन बिछाए (*) जाने का प्रस्ताव है उसकी विशिष्टियां

8. भूमि की अवस्थिति _____
9. जिला/ताल्लुक/मंडल _____

10. भूमि की सर्वेक्षण सं. _____

11. भूमि का वर्णन/विस्तार _____
(नमीयुक्त या शुष्क भी
विनिर्दिष्ट किया जाएगा) _____

12. भूमि/संपत्ति/फसल/पेड़ों आदि को कारित नुकसान की प्रकृति/विस्तार/वर्णन (*)

(i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)
(ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)
(iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति)

13. दावा की गई प्रतिकार की रकम (*)

(i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)
(ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)
(iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति)

14. दावे का आधार (*)

(i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)
(ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)
(iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति)

टिप्पण:- पेड़ों के मामले में, पेड़ों का प्रकार, पेड़ों की संख्या, पेड़ों की आयु, प्रत्येक पेड़ में वार्षिक प्राप्ति, प्रत्येक प्रकार के पेड़ के लिए उसकी प्रत्याशित आयु दी जाएगी। प्रत्येक प्रकार की फसल के लिए भी ऐसी ही जानकारी अर्थात् फसल की प्रकृति, परिपक्वता की स्थिति, प्रत्याशित प्राप्ति नुकसान की मात्रा आदि दी जाएगी।

दावेदार के हस्ताक्षर _____

तारीख _____

टिप्प्ण: 1 (*) जो लागू न हो उसे काट दें।

2. सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्ररूप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् प्ररूप की एक प्रति दावेदार को लौटाई जाएगी।

हस्ता0/-

अवर सचिव, भारत सरकार

पाद टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 13.04.1963 के सा.का.नि. 626 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें बाद में निम्नवत संशोधित किया गया था:-

(i) सं. सा.का.नि. 194(ई) दिनांक 26.04.1977
(ii) सं. सा.का.नि. 100(ई) दिनांक 01.03.1995
(iii) सं. सा.का.नि. 174(ई) दिनांक 26.03.1997

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1997

सा.का.नि. 174 (□): - केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 17 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन नियम, 1997 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4 में -

(i) उपनियम (2) में "प्रतिकार के लिए दावा, ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे निमित विनिर्दिष्ट किया गया हो" शब्दों के स्थान पर "प्रतिकार के लिए दावा, इन नियमों से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) नियम 3 में, "ऐसी जांच करेगा जैसी वह उचित समझे" शब्दों के स्थान पर "नियम 4क में यथा उपबंधित जांच करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियम के नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"4क सक्षम प्राधिकारी, नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन जांच करने और प्रतिकार मंजूर करने के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात् :-

(1) भूमि में हितबद्ध किसी व्यक्ति के उपयोग के अधिकार से वंचित हो जाने के कारण मिलने वाले भूमि के प्रतिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस परिक्षेत्र में विद्यमान भूमि की दरों की बाबत निम्नलिखित स्रोतों से पूछताछ करेगा, अर्थात् -

(क) ऐसे स्थानीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार या कोई ऐसा प्राधिकारी जिसे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दस्तावेजों को रजिस्टर करने के लिए तत्समय प्राधिकृत किया गया हो :

(ख) यदि ऐसी अवधि के दौरान उस परिक्षेत्र में कोई भूमि अर्जित की गई है तो, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन भूमि अर्जन प्राधिकारी और;

(ग) ऐसा कोई अधिकारी या प्राधिकारी जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी प्रयोजन के लिए भूमि की आरक्षित कीमत नियत करता है:

परन्तु विचार की जाने वाली कोई दर ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा नियत आरक्षित कीमत से कम नहीं होगी।

(2) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किए जाने के दौरान हुई हानियों या नुकसान के लिए प्रतिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी -

(क) उसके द्वारा नियुक्त की गई टीम द्वारा तैयार किया गया एक पंचनामा अभिप्राप्त करेगा जो अधिमानत: भूमि में हितबद्ध द्वारा या उस परिक्षेत्र के दो स्वतंत्र और सम्मानीय निवासियों और कार्य-निष्पादन अभिरण के प्रतिनिधि द्वारा सम्यकत: हस्ताक्षरित होगा। उक्त पंचनामों में अधिनियम की धारा 4, 7 या 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान हुई हानियों और नुकसान के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे।

(ख) फसलों, वृक्षों और फलों आदि से प्राप्ति की बाबत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उद्यान-कृषि या कृषि विभाग से अथवा केन्द्रीय सरकार और/या राज्य सरकार के आकड़ों के अनुसार अथवा किसी स्थानीय सरकारी निकाय से पूछताछ करेगा; और

(ग) फसलों, इमारती काष्ठ, काष्ठ, फल आदि के बाजार मूल्य की कृषि विभाग से या किसी अन्य संबंधित अभिकरण या अर्द्ध सरकारी अभिकरण जैसे कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मण्डी या किसी विधि के अधीन फसलों काष्ठ, फल आदि के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण से अध्यापेक्षा करेगा;

(घ) अन्य हानियों, यदि कोई हो, का निर्धारण, सरकारी अभिकरण से या किसी अर्हित इंजीनियर से या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34 क ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी मूल्यांकक के माध्यम से करवाएगा;

(ड.) उपधारणात्मक फसल प्रतिकार अर्थात् ऐसे लाभ के लिए प्रतिकार तो कृषक उस फसल के लिए सामान्यत: प्राप्त करता जो यदि उसे भूमि जोतने से निवारित न

किया गया होता तो उसमें उस भूमि जिससे प्रतिकार संबंधित है पर उस मौसम या अवधि के दौरान कृषि की होती, के मामले में सक्षम प्राधिकारी बीज, खाद, श्रम आदि की बचत के रूप में शुद्ध मूल्य के 20 प्रतिशत की कटौती कर सकेगा।

[सं. ओ-27012/1/93-ओ.एन.जी.डी.IV]

संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य नियम दिनांक 13-04-1963 के सा.का.नि. 626 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें बाद में निम्नवत् संशोधित किया गया था:-

(i) सं. सा. का. नि. 194 (ई) दिनांक 26-04-1977

(ii) सं. सा. का. नि. 100 (ई) दिनांक 01-03-1995

अनुसूची

प्ररूप

[नियम 4 (2) देखिए]

(दो प्रतियो में प्रस्तुत किया जाना है)

पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3(1) के अधीन राजपत्र अधिसूचना तारीख..... में विनिर्दिष्ट भूमि के संबंध में दावा।

भाग-क

दावेदार की विशिष्टियां

1. दावेदार का नाम _____
2. पिता/पति का नाम (+) _____

3. आयु/जन्म की तारीख (+) _____
4. उपजीविका _____
5. स्थायी पता _____
   _____

6. संसूचित किए जाने के लिए/ _____
   नोटिसों की तामील के लिए पता _____

7. दावा प्रस्तुत किए जाने की तारीख _____

भाग - ख

जिस भूमि पर पाइपलाइन बिछाए (*) जाने का प्रस्ताव है उसकी विशिष्टियां

8. भूमि की अवस्थिति _____
9. जिला/ताल्लुक/मंडल _____

10. भूमि की सर्वेक्षण सं. _____

11. भूमि का वर्णन/विस्तार _____
(नमीयुक्त या शुष्क भी
विनिर्दिष्ट किया जाएगा) _____

12. भूमि/संपत्ति/फसल/पेड़ों आदि को कारित नुकसान की प्रकृति/विस्तार/वर्णन (*)

(i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)
(ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)
(iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति)

13. दावा की गई प्रतिकार की रकम (*)

(i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)

(ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)

(iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति)

14. दावे का आधार (*)

(i) धारा 4 के अधीन (अर्थात् प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने आदि की शक्ति)

(ii) धारा 7 के अधीन (अर्थात् पाइपलाइन आदि बिछाने के लिए)

(iii) धारा 8 के अधीन (अर्थात् निरीक्षण आदि के लिए भूमि में प्रवेश करने की शक्ति)

टिप्पण:- पेड़ों के मामले में, पेड़ों का प्रकार, पेड़ों की संख्या, पेड़ों की आयु, प्रत्येक पेड़ में वार्षिक प्राप्ति, प्रत्येक प्रकार के पेड़ के लिए उसकी प्रत्याशित आयु दी जाएगी। प्रत्येक प्रकार की फसल के लिए भी ऐसी ही जानकारी अर्थात् फसल की प्रकृति, परिपक्वता की स्थिति, प्रत्याशित प्राप्ति नुकसान की मात्रा आदि दी जाएगी।

दावेदार के हस्ताक्षर _____

तारीख _____

टिप्प्ण: 1 (*) जो लागू न हो उसे काट दें।

2. सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा प्ररूप प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् प्ररूप की एक प्रति दावेदार को लौटाई जाएगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1977

सा.का.नि. 194 (अ). - पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. ये नियम पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1977 कहे जाएंगे।

2. पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, की प्रस्तावना में नियम 1 और नियम 2 के खण्ड (क) में "पेट्रोलियम पाइपलाइन" शब्दों के स्थान पर "पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[संख्या 11022/1/77]

सी.आर. वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव